DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(Information relating to Legislative & other matters)

Tuesday 20th March 2001 / Phalguna 29, 1922 (Saka)

No : 140

STATUS OF MEMBER IN THE HOUSE

Hon'ble Members are informed that Hon'ble Speaker has issued the following order today regarding the status of Shri Jagdish Anand, MLA which reads as follows :-

"ORDER

Whereas Shri Jagdish Anand was elected to the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on Congress ticket vide Election Commission notification No 308/DL-LA/98 dated 30th Novembér, 1998 and sworn in as member on 21st January, 1999.

And whereas Shri Jagdish Anand has informed me vide letter dated 14.3.2001 that he has been 'expelled from the party for 6 years';

And whereas Shri Mangat Ram Singhal, Chief Whip of the Congress Legislature Party vide his letter No CW/C/2000/-2902 dated 15.3.2001 has confirmed that "Shri Jagdish Anand has been expelled from the primary membership of the Congress Party following which he is no longer a member of the Congress Legislature Party in the Legislative Assembly of Delhi";

And whereas Shri Mangat Ram Singhal, Chief Whip is the member duly authorised by the Party vide letter No CM/-OSD/NK/99/8 dated 10th September 1999 to communicate with me for purposes of the Members of Delhi Legislative Assembly (Disqualification on Grounds Of Defection) Rules, 1996;

And now therefore, after careful examination of the case and in exercise of the powers conferred upon me under the Tenth Schedule of the Constitution of India, I, Ch Prem Singh, Speaker, Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, do hereby declare Shri Jagdish Anand as an 'Unattached' member of the House with immediate effect.

- sd
(Ch Prem Singh)
Speaker
Delhi Legislative Assembly

Delhi

Date : 20th March, 2001"

S.K. Sharma
Secretary

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

﴾ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ﴿
मंगलवार, 20 मार्च, 2001 / फाल्गुन 29, 1922 ﴾शक﴿

संख्या : 140

सदन में सदस्य की स्थिति

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष ने श्री जगदीश आनन्द, विधायक की सदन में स्थिति के संबंध में आज निम्नलिखित आदेश जारी किया है :-

"आदेश

जब कि श्री जगदीश आनन्द दिनांक 30 नवम्बर, 1998 की चुनाव आयोग की अधिसूचना संख्या : 308/डी. एल. एल. ए. /98 के जरिए कांग्रेस के टिकट पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और 21 जनवरी, 1999 को सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की थी, और जब कि श्री जगदीश आनन्द ने अपने दिनांक 14 मार्च, 2001 के पत्र द्वारा मुझे सूचित किया है कि उन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है,

और जब कि कांग्रेस विधायी दल के मुख्य सचेतक श्री मंगत राम सिंघल ने अपने दिनांक 15 मार्च, 2001 के पत्र संख्या : सी. डब्लू. सी/2000/2902 के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया है कि श्री जगदीश आनन्द कांग्रेस दल की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिए हैं और अब वे दिल्ली विधान सभा में कांग्रेस दल के सदस्य नहीं है,

और जब कि श्री मंगत राम सिंघल, मुख्य सचेतक, एक ऐसे सदस्य हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने दिनांक 10 सितम्बर, 1999 के पत्र संख्या सी. एम. /ओ. एस. डी. /ए. के. /99/8 के द्वारा उन्हें दिल्ली विधान सभा सदस्य ﴾दल परिवर्तन के आधार पर निर्हता﴿ नियम 1996 के अन्तर्गत मुझे इस प्रकार की सूचना देने के लिए प्राधिकृत किया है,

और अब मामले की गहन छानबीन के पश्चात, मैं, चौधरी प्रेम सिंह, अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा, भारत की संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगदीश आनन्द को तुरन्त प्रभाव से "असम्बद्ध" सदस्य घोषित करता हूँ ।

ह0/-

﴾ चौ. प्रेम सिंह ﴿

अध्यक्ष,
दिल्ली विधान सभा।"

दिल्ली
दिनांक : 20 मार्च, 2001"

एस. के. शर्मा
सचिव